राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या-1139/2016/भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—सी, भीलवाड़ा।अपीलार्थी बनाम

मैसर्स तिरूपति फिलिंग स्टेशन, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा।प्रत्यर्थी

2. अपील संख्या-1140/2016/भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—सी, भीलवाड़ा।अपीलार्थी बनाम

मैसर्स तिरूपति फिलिंग स्टेशन, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा।प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या-1141/2016/भीलवाड़ा

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—सी, भीलवाड़ा।अपीलार्थी बनाम

मैसर्स तिरूपति फिलिंग स्टेशन, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाड़ा।प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u> श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री प्रकाश जैन, अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा उप राजकीय अभिभाषक

....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 08.03.2017

निर्णय

1. उपर्युक्त अपील संख्या 1139/2016 से 1141/2016 ये 3 अपीलें अपीलार्थी विभाग की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, भीलवाड़ा (जिन्हें आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पृथक—पृथक प्रकरणों में पारित किये गये संयुक्त आदेश दिनांक 17.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपील निर्णयों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि को अपास्त किया है, जिसके विरूद्ध सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत—सी, भीलवाड़ा। (जिन्हें आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा ये अपीलें पेश की गई हैं जिनका विवरण निम्न तालिका अनुसार है :—

am

तालिका सं. 1.....

1	2	3	4	5	6	7	8
अपील सं.	प्रथम अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या व निर्णय दिनांक	प्रत्यर्थी (व्यवहारी) का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर निर्धारण अधिकारी का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कर	ब्याज	योग
1139/ 2016	15/वैट/15—16 निर्णय दिनांक 17.12.2015	मै. तिरूपित फिलिंग स्टेशन प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाडा।	2009-10	07.04.2015	152697	100780	253447
1140 / 2016	16 / वैट / 15—16 निर्णय दिनांक 17.12.2015	मै. तिरूपित फिलिंग स्टेशन प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाडा।	2010-11	07.04.2015	208642	112667	321309
1141 / 2016	17 / वैट / 15—16 निर्णय दिनांक 17.12.2015	मै. तिरूपित फिलिंग स्टेशन प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, भीलवाडा।	2011-12	07.04.2015	195704	82195	277889

- 2. इन सभी अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक—एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।
- 3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी पेट्रोल डीजल एवं ल्यूब्रिकेंट का व्यवसायी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2009—10, 2010—11 व 2011—12 का कर निर्धारण Deemed Assessment Scheme for Assessment of the year 2009-10, 2010-11 व 2011-12 के अन्तर्गत व्यवहारी की पात्रता रखना मानते हुये निम्न तालिकाओं के अनुसार कर निर्धारण किया गया

तालिका सं. 2..... कर निर्धारण वर्ष 2009–10 आदेश दिनांक 21.06.2011

क्र.सं.	कर निर्धारण वर्ष	ड्यू दिनांक	जमा दिनांक	रूपये	कर निर्धारण मांग
1.	01.04.09 से 30.06.09	14.07.09	29.07.09	3150	
2.	01.07.09 से 30.09.09	14.10.09	30.10.09	2950	
3.	01.10.09 से 31.12.09	14.01.10	25.01.10	2873	शून्य
4.	01.01.10 से 31.03.10	14.04.10	29.04.10	2691	
				11664	

तालिका सं. 3.....

कर निर्धारण वर्ष 2010-11 आदेश दिनांक 18.04.2012

क्र.सं.	कर निर्धारण वर्ष	ड्यू दिनांक	जमा दिनांक	रूपये	कर निर्धारण मांग	
1.	01.04.10 से 30.06.10	22.07.10	10.07.14	3932		
2.	01.07.10 से 30.09.10	22.10.10	10.07.14	3088		
3.	01.10.10 से 31.12.10	22.01.11	10.07.14	4540	शून्य	
4.	01.01.11 से 31.03.11	22.04.11	10.07.14	4490		
				16050		

तालिका सं. 4.....

कर निर्धारण वर्ष 2011-12 आदेश दिनांक 01.05.2013

क्र.सं.	कर निर्धारण वर्ष	ड्यू दिनांक	जमा दिनांक	रूपये	कर निर्धारण मांग
1.	01.04.11 से 30.06.11	14.07.11	07.06.12	3778	
2.	01.07.11 से 30.09.11	14.10.11	07.06.12	3166	शून्य
3.	01.10.11 से 31.12.11	14.01.12	07.06.12	4218	
4.	01.01.12 से 31.03.12	14.04.12	07.06.12	3892	
				15054	

कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 19.09.14 को तीनों पत्रावलियों में स्वतः पेशी में लेकर व्यवसायी को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया कि आलोच्य वर्ष के कर निर्धारण आदेश में पेट्रोलियम कम्पोजिशन के रिटेल आउटलेट की कम्पोजिशन स्कीम के तहत करारोपण किया गया किन्तु व्यवसायी द्वारा राशि संबंधित वित्तीय वर्ष में समय पर जमा नहीं करवायी जिससे कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 4.01 के अनुसार राशि 4 त्रैमासिक किश्तों में समय पर जमा नहीं कराने के कारण स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं है जिससे कर व ब्याज का आरोपण किया जाना हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने व्यवसायी के उपस्थित नहीं आने पर व्यवसायी को देय कर समय पर नहीं जमा कराने के कारण व स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवाने के कारण तालिका सं. 1 में वर्णित आदेशों द्वारा कर, ब्याज आरोपित किया गया। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग भीलवाडा के समक्ष तालिका सं. 1 में वर्णित अपीलें प्रस्तुत की जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.15 द्वारा स्वीकार कर निर्णय में किये गये संशोधन को अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित नहीं किया जा सकना मानते हुये अपीलें स्वीकार करते हुये कर निर्धारण अधिकारी के आदेश निरस्त किये है जिनके विरुद्ध राज्य पक्ष की ओर से ये अपीलें प्रस्तुत हुई है।

- 4. उपरोक्त अपीलें दर्ज की जाकर रिकार्ड व प्रत्यर्थी को तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये।
- 5. विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया संशोधन राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन योग्य थी क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेशों में व्यवहारी का कर निर्धारण आदेश कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत किया है जबकि व्यवसायी द्वारा कर समय

पर जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007—145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 4.01 के अनुसार राशि 4 त्रैमासिक किश्तों में समय पर जमा नहीं करायी गयी जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था जो कि रिकार्ड से स्पष्ट भूल थी। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस न्यायिक दृष्टांत सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सजी (टैक्स अपडेट पेज 353) के आधार पर संशोधन विधिसम्मत नहीं माना है उसके तथ्य इस प्रकरण से भिन्न है तथा इस पर चस्पा नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश यथावत रखे जावें।

- विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की तथा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को स्कीम में पात्रता रखने के कारण ही चेतन्य मस्तिष्क एवं विवेक से डीम्ड स्कीम के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किया हैं। पात्रता के संबंध में धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता। कर निर्धारण आदेशों में संशोधन उसी भूल का होता है जो प्रथम दृष्टतया प्रतीत होती हो एवं जो बहस करने योग्य नहीं हो। व्यवहारी को एक बार प्रश्मन स्कीम का लाभ का प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् पूर्ववर्ती वर्ष में लाभ से वंचित किया जाना विधिविरूद्व हैं। इन्होने यह भी कथन किया कि व्यवसायी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से राज्य में कर दर से कर चुका कर खरीद की गई है एवं उस पर व्यवहारी को प्राप्त होने वाले आगत कर भी समायोजन नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जायें। इन्होने अपने समर्थन में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अपडेट पेज 353), वाणिज्यिक कर अधिकारी जालौर बनाम मै. प्रदीप सर्विस सेन्टर भीनमाल अपील सं. 2102/12 निर्णय दिनांक 14.06.13 आदि के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
- 6. हमने पत्राविलयों का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :--
- 7. विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने तालिका सं. 2,3,4 के विवरणानुसार कर निर्धारण कर दिया था जिनमें तालिका सं. 1 में वर्णित विवरणानुसार राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के

अन्तर्गत इस आधार पर संशोधन किया है कि व्यवसायी द्वारा कर समय पर जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007—145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 4.01 के अनुसार राशि 4 त्रैमासिक किश्तों में समय पर जमा नहीं करायी गयी तथा स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था।

8. प्रकरण में सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेशों में किसी प्रकार की त्रुटि हुई है या नहीं।

कर निर्धारण अधिकारी ने तालिका सं. 2,3 व 4 के अनुसार वर्ष 2009-10 का कर निर्धारण दिनांक 21.06.11, वर्ष 2010-11 का कर निर्धारण दिनांक 18.04.12, वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण दिनांक 01.05.13 द्वारा व्यवसायी का कर निर्धारण Deemed Assessment Scheme for Assessment of the year 2009-10, 2010-11 व 2011-12 के अन्तर्गत व्यवहारी की पात्रता रखना मानते हुये कर दिया था परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी ने यह मानते हुये कि व्यवसायी द्वारा कर समय पर जमा नहीं कराने के कारण कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 4.01 के अनुसार राशि 4 त्रैमासिक किश्तों में समय पर जमा नहीं करायी गयी तथा स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत उपरोक्त आदेशों में व्यवहारी को नोटिस जारी कर तालिका सं. 1 में वर्णित विवरणानुसार संशोधन किया हैं। यह स्पष्ट है कि मूल कर निर्धारण आदेशों में व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत पात्र मानते हुये कर निर्धारण किया हैं। तालिका 2,3 व 4 के कॉलम सं. 3 में अंकित ड्यू दिनांक के विरुद्ध व्यवसायी ने कर कॉलम सं. 4 में अंकित दिनांक को जमा करवाया है जो स्पष्ट रूप से देरी से जमा करवाया गया हैं।

अधिसूचना क्रमांक 2007—145 दिनांक 09.03.07 का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :-- Manner of payment of composition amount : -

- 4.01 The composition amount shall be paid in four quaterly installments. The installment for each quarter shall be paid by 7th day of the immediately succeeding month of the relevant quarter i.e. by July 7th. October 7th, January 7th and April 7th for the 1st, 2nd, 3rd and 4th quarter respectively. The difference if any, as per the actual turnover of the whole of the year shall be calculated and the halance of the composition amount, if any, shall be April 30th of the immediately succeeding year.
- 5.04 Where a dealer has failed to deposit the composition amout it the period specified under the scheme, he shall be allowed to continue to avail the benefits of the scheme on fulfillment of the following conditions, namely:-
- (i) he shall deposit the whole of the amount which has become due under the sheeme along with the interest thereon at the rate notified under the said Act; and
- (ii) he shall also deposit a late fee, amounting to twenty five percent of the due composition amount required to be deposited under the scheme where he deposits the due installments within three months of due date, and this late fee shall be fifty percent of due amount if he deposits the due installments after aforesaid period of three month but before March 31 of the relevant financial year, and thereafter he shall not be eligible for the benefits under the scheme.

Provided where the dealer has furnished the details of the annual turnover to his assessing authority for the period proor to [31-03-2013] and has failed to deposit, composition amount in the period specified under the Scheme or the late fee or interest, if any, before March 31 of relevant year. he shall be allowed to avial the benifit of the Scheme on the condition that he shall deposit a late fee amounting to 100% of due composition amount required to be deposited under the Scheme along with due composition amount and interest up to [September 30th. 2013]]

[Provided further that where the dealer who has opted for the Scheme and has failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the Scheme. such dealer shall be allowed to avail the benifit of the Scheme,-

- (i) if composition amount and late fee specified under the Scheme for the period after 31-03-2011, has been deposited by him before 31-05-14 and, if he deposits an amount equal to 75% of the composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014; or
- (ii) if composition amount specified under the Scheme for the period after 31-03-2011, has been deposited by him but the late fee has not been deposited before 31-05-14, if he deposits an amount equal to 100% of the composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014; or

ma

(iii) for all other dealer, if they deposits, composition amount and an amount equal to 200% of the due composition amount, which has been deposited late, as late fee up to 31-08-2014]

उपरोक्त विधिक प्रावधान अधिसूचना के बिन्दु सं. 4.01 से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत समस्त किश्तों का कर निर्धारित तिथि तक जमा करवाया जायेगा तथा यदि निर्धारित तिथि तक कर जमा नहीं करवाया जाता है तो बिन्दु सं. 5.04(ii) के अन्तर्गत कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस लेट फीस जमा करवाकर कम्पोजिशन स्कीम का लाभ प्राप्त किया जा सकता है परन्तु इसके बावजूद भी यदि व्यवहारी द्वारा उपरोक्त शर्ते पूरी नहीं की जाती है तो वह इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा देय कर निर्धारित तिथि तक जमा नहीं करवाया गया है जिससे बिन्दु सं. 4 का उल्लघंन होना प्रमाणित है। स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। इस प्रकार इस न्यायालय के विनम्रमतानुनसार कर निर्धारण में त्रुटि हुई है।

9. अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि क्या यह त्रुटि रिकार्ड पर स्पष्ट दृष्टिगोचर त्रुटि की श्रेणी में आती है या नहीं तथा क्या यह त्रुटि धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन योग्य है।

विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने पैरा सं. 3 के अनुसार व्यवहारी का कर निर्धारण कर दिया था। कम्पोजिशन राशि समय पर जमा नहीं करवाने व बाद में राज्य सरकार द्वारा दी गई छूट के अन्तर्गत कम्पोजिशन राशि पर ब्याज व शास्ति भी जमा नहीं करवायी गई जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने तालिका सं. 1 के अनुसार धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन किया है। इस संबंध में धारा 33 का उल्लेख करना समीचीन होगा। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 निम्न प्रकार है :--

33. Rectification of a mistake. – (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

- 8 - अपील संख्या-1139/2016 से 1141/2016 भीलवाडा

- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.
- (4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of the order sought to be rectified.
- (5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

उपरोक्त विधिक प्रावधान से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली त्रुटि को स्वतः या अन्यथा सुधार किये जाने का प्रावधान हैं। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार जब कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण कर दिया था तो उपरोक्त बिन्दु के आधार पर संशोधन किया जाना प्रत्यक्षतः रिकार्ड पर परिलक्षित त्रुटि के सुधार की श्रेणी में नहीं मानी जा सकती। धारा 33 के अन्तर्गत उसी त्रुटि का सुधार किया जा सकता है जो रिकार्ड से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली भूल हो। इस प्रकार विचाराधीन प्रकरणों में किया गया संशोधन धारा 33 के अन्तर्गत संशोधित किये जाने योग्य नहीं माना जा सकता।

10 विचाराधीन प्रकरणों में यह तो स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटि हुई है जिससे कर अपवंचना हुई है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण में धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही की है जबिक इस धारा का Scope बहुत कम है। अब इस बिन्दु पर विचार किया जाता है कि यदि कर निर्धारण Under Assessed हुआ है तो कर निर्धारण अधिकारी को क्या विधिक उपचार अपनाना चाहिए था। इस संबंध में अधिनियम की धारा 26 पर विचार किया जाता है जो निम्न प्रकार है:—

26. Escaped assessment.—(1) An assessment —

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under this Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way or under any circumstances,

shall be deemed to be an escaped assessment and the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the time limit provided in sub–section (3).

Explanation.— The assessment under this section shall not include that part of the business which has already been assessed or deemed to have been assessed under the provisions of this Act.

- (2) Where the Commissioner or the Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner, to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.
- (3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years, and no assessment under the said sub-sections shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant year; but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in any order passed by an appellate authority or the Tax Board or a competent court.
- (4) The assessment, if any, already made shall be subject to the assessment made under this section.

विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम का लाभ दिया गया है जबिक पैरा सं. 8 में की गई विवेचना के अनुसार लाभ नहीं दिया जा सकता था जिससे राज्य पक्ष को देय कर में कमी हुई है अर्थात् Under Assessment हुआ है। इस धारा 26(c) में under-assessed in any way or under any circumstances, शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसका यह अर्थ निकलता है कि कम कर निर्धारण किसी भी प्रकार से व किन्ही भी परिस्थितियों में हुआ है तो इस धारा के अन्तर्गत समय सीमा के उपबन्ध में संशोधित कर निर्धारण किया जा सकता है। इस संबंध में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों पर विचार किया जाता है। न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अकबरअली अमानतअली बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी निर्णय दिनांक 10.12.76 (1976 आरएलडब्ल्यू 648) में निम्न प्रकार से सिद्धान्त प्रतिपादित किया है:-

पेरा 9. Section 12(1) of the Act so far as material reads:

12. Assessment of tax and levy of exemption fee or registration fees incorrectly assessed: (1) If for any reason the whole or any part of the business of a dealer has escaped assessment to the tax, or if the registration fee or exemption fee has escaped levy or has been assessed at too low a rate in any year, the assessing authority, may serve on the dealer liable to pay the tax in respect of such business or such registration fee or exemption fee a notice in the prescribed form and may proceed to assess or reassess the amount of the tax or levy, the correct amount of registration fee or exemption fee from such, dealer.

पैरा 11. The words 'for any reason' in <u>Section 12(1)</u> of the Act are wide enough and the powers of the Commercial Taxes Officer under the section are not circumscribed by any condition.

इस न्यायिक दृष्टांत में जो कि राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट 1955 की धारा 12(1) जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के समानान्तर है के संबंध में यह कहा गया है कि " for any reason " शब्दों का Scope काफी अधिक है जो कर निर्धारण अधिकारी की शक्तियों को कम नहीं करती है। धारा 26(c) में तो इससे भी अधिक Scope बनता है क्योंकि इसमें तो in any way or under any circumstances, शब्दो का प्रयोग किया गया है।

न्यायिक दृष्टांत (1973) 32 एसटीसी 223 (आरएचसी) स्टेट ऑफ उडीसा बनाम नन्दासाहू एवं पदमसाहू में पारित निर्णय के संबंधित भाग का उल्लेख करना समीचीन है:—

Section 12 of the Act deals with the procedure for making the assessment. Sub-section (8) deals with escaped assessment of turnover.

Both under the Sales Tax Act as also the Income-tax Act "escaped assessment" has assumed a definite meaning. Escapement of assessment may arise in various circumstances. The dealer may neglect, to make a return or while making a return may suppress a part of the turnover. Even if the turnover has been returned, either by negligence or omission or even by wrong application of law, a part of the turnover may be left out from assessment. Be it on account of the assessee or the assessing officer, if that has ultimately resulted in escapement of a part of turnover from assessment the right to bring the escaped turnover into the net of taxation is vested by a provision like Section 12(8) of the Act in the assessing officer ordinarily subject to limitation as may be prescribed. In such circumstances, merely because a particular information regarding suppression was already available in the Intelligence Wing before the regular assessment under Section 12(2) of the Act was made and was admittedly not utilised, cannot stand in the way of initiating a proceeding under Section 12(8) of the Act. Even if the information was in the possession of the assessing officer himself, but had not been taken into account in them making of the assessment, the position would not have been different. We have no doubts in our mind that the Tribunal clearly went wrong in using that as a ground for annulling the assessment. The question of law as framed above has to be answered in favour of the taxing department and against the assessee and our answer shall be that in the facts and circumstances of the case, the Tribunal was not right in holding that if particulars of suppression of transaction by the assessee though available at the time of assessment made under Section 12(2) of the Act were not utilised in making the said assessment, proceedings under Section 12(8) of the Act could be taken subsequently on the basis of the very said particulars of suppression.

उपरोक्त धारणा से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विचाराधीन प्रकरण भी Under Assessment की श्रेणी में है तथा इसे Escaped टैक्स मानकर धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है।

- 11 - अपील संख्या-1139/2016 से 1141/2016 भीलवाडा

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा मै. जी.एल वुलन्स लि. बनाम राजस्थान राज्य एसबीसीडब्ल्यूपी नं. 3675/2001 निर्णय दिनांक 24.07.02 में निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :--

The expression " In any way or under any circumstances", are the expression which have a very wider connotation. "In any way or under any circumstances" would give all permissible powers to the assessing authority. in that case the earlier assessment found to have faulted on the touch stone of the existing law, under-assessment is patiently there, therefore, also the notice for reassessment cannot be said to be bad in the eye of law.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धान्त से इस धारणा की पुष्टि होती है कि किसी भी कारण से यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा देय कर से कम कर का निर्धारण हुआ है तो धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। यहा यह उल्लेखनीय है कि यह न्यायिक दृष्टांत राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 30 के संबंध में है तथा यह धारा 30 नये अधिनियम राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के बिल्कुल समान है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार विचाराधीन प्रकरण में भी धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत है।

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1959 एससी 1303 महाराधिराज सर कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है:—

"For the reasons we have given, we are of the opinion that the Agricultural Income Tax Officer was competent under Section 29 of the Act to assess an item of income which he had omitted to tax earlier, even though in the return that income was included and the Agricultural Income-tax Officer then thought that it was exempt. the answer given by the High Court was therefore correct."

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त सिद्धांन्त के आधार पर भी धारा 26 के अन्तर्गत under assessed कर निर्धारण को पुनः संशोधित किया जा सकता है।

अब इस संबंध में समय सीमा के संबंध में विचार किया जाता है। उपरोक्त धारा 26(1)(सी) के प्रावधानानुसार यदि कर Under Assessed हुआ है तो कर निर्धारण अधिकारी उसे धारा 26(3) में दी गई समय सीमा के अन्तर्गत कर निर्धारण कर सकता है। धारा 26(3) में समय सीमा कर निर्धारण वर्ष की अंतिम तिथि से नोटिस जारी करने की पाँच वर्ष व अंतिम आदेश पारित करने की समय सीमा 8 वर्ष है। धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु 33(4) के अन्तर्गत समय सीमा आदेश पारित करने की तिथि से 4 वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष 2009—10 का आदेश दिनांक 21.06.11, कर निर्धारण वर्ष 2010—11 का आदेश दिनांक 18.04.12, कर निर्धारण वर्ष 2011—12 का आदेश दिनांक 01.05.13, में संशोधन हेतु नोटिस दिनांक 19.09.14 को जारी किये गये है। कर निर्धारण अधिकारी को कर अपवंचना का ज्ञान होने पर कार्यवाही 19.09.14 को प्रारम्भ की गई है तथा उस समय यदि कर निर्धारण अधिकारी धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करते तो भी समय सीमा के अन्तर्गत थी। इस प्रकार प्रकरण में यह अधिक विधिसम्मत होता यदि वे धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करते।

11. विचाराधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी का यह भी कथन है कि व्यवसायी द्वारा राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से राज्य में कर दर से कर चुका कर खरीद की गई है एवं उस पर व्यवहारी को प्राप्त होने वाले आगत कर भी समायोजन नहीं दिया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 07.04.15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंनें इनपुट टैक्स के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है जबिक कर निर्धारण कम्पोजिशन स्कीम के तहत नहीं किया जाकर सामान्य प्रकिया के अन्तर्गत किया है जिसमें इनपुट टैक्स दिये जाने का प्रावधान है। प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में इनपुट टैक्स के संबंध में कोई ऑकडें प्रस्तुत नहीं किये हैं फिर भी प्रत्यर्थी इनपुट टैक्स के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

- 12. जहां तक प्रत्यर्थी का यह कथन है कि व्यवहारी को एक बार प्रश्मन का लाभ का प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् पूर्ववर्ती वर्ष में लाभ से वंचित करना विधिसम्मत नहीं है, स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकि व्यवहारी को प्रश्मन के लाभ का प्रमाण पत्र अधिसूचना क्रमांक 2007—145 दिनांक 09.03.07 के अन्तर्गत जारी किया गया हैं तथा इस अधिसूचना की शर्तों की पालना आवश्यक थी तथा शर्तों की पालना नहीं होने पर इस अधिसूचना के बिन्दु सं. 5.04(ii) के अन्तर्गत स्वतः ही पात्र नहीं रहता।
- 13. अधीनस्थ न्यायालय अपीलीय अधिकारी ने धारा 33 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही को विधिसम्मत नहीं माना है परन्तु प्रकरण में तालिका सं. 2,3, 4 से यह स्पष्ट है कि देय कर निर्धारित तिथि के बाद जमा करवाया गया है जो कि कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वेट विवरणियों से

In

स्पष्ट हैं। देय कर जमा कराने में विलम्ब हुआ है इस बिन्दु पर कोई विवाद की स्थिति नहीं हैं। स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन राशि मय ब्याज व लेट फीस भी संबंधित वित्तीय वर्ष में जमा नहीं करवायी गई तथा जिससे स्कीम के पैरा 5.04 के अनुसार कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी देय कर विलम्ब से जमा होने के कारण प्रश्मन स्कीम का लाभ नहीं दे सकते थे जो कि विधिक प्रावधान कम्पोजिशन स्कीम की अधिसूचना क्रमांक 2007-145 दिनांक 09.03.07 के पैरा सं. 5.04 से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रकरणों में कर अपवंचना हुई है। व्यवहारी को भी इनपूट टैक्स का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय धारा 26 की समय सीमा भी कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध थी। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण में त्रुटि हुई है तथा कम्पोजिशन स्कीम का लाभ देय नहीं होने के बावजूद भी कर निर्धारण कम्पोजिशन स्कीम के अन्तर्गत हुआ है जिससे कर अपवंचना का प्रकरण बनता है परन्तु मात्र इस आधार पर कि कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधित कर निर्धारण धारा 33 के अन्तर्गत किया है, व्यवहारी को देय कर से मुक्त नहीं किया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार यदि प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कर अपवंचना व व्यवहारी के इनपूट टैक्स के बिन्दू का निर्धारण हो सकता है जो अधिक विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

परिणामतः राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 83(10) के अन्तर्गत ये अपीलें आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.15 एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 07.04.15 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि वे राजस्थान मूल्य परिवद्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही करें तथा व्यवहारी को पुनः अपनी रिटर्न आदि प्रस्तुत करने का अवसर देकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत रूप से पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। यहा स्पष्ट किया जाता है कि धारा 33 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करने के समय धारा 26 की समय सीमा भी कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध थी तथा उसके पश्चात् प्रकरण विभिन्न न्यायिक स्तरों पर विचाराधीन रहे है, अतः प्रकरणों को समय सीमा में मानकर धारा 26 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे तथा यदि व्यवहारी को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकालकर कर निर्धारण किया जाता है तो व्यवहारी को यदि कोई इनपूट टैक्स नियमानुसार देय होता है तो उसका लाभ भी दिया जाये। व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.04.17 को उपस्थित हो।

15. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम) सदस्य